

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :प.2(2)चिस्वा/2/2016/पार्ट

जयपुर, दिनांक : ०९-५-१८

—:आदेश:—

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 के नियम-24 बी एवं 24 बीबी के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 10.01.2017 में डॉ. नुपुर चतुर्वेदी, उप निदेशक, जन्म तिथि 01.09.1963 के नाम पर विचार कर इनके विरुद्ध विभागीय जाँच लम्बित होने के कारण इनका पदौन्नति का परिणाम बन्द लिफाफे में रखने की अभिशंषा की गई है।

निदेशक (जन.स्वा.) द्वारा प्रेषित प्रस्तावानुसार डॉ. नुपुर चतुर्वेदी का बन्द लिफाफा खोला जाकर डी.ए.सी.पी. स्कीम के अन्तर्गत डॉ. नुपुर चतुर्वेदी, उप निदेशक, जन्म तिथि 01.09.1963 को स्क्रीनिंग कमेटी की अभिशंषा अनुसार प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी (वेतनमान 37400-67000 में ग्रेड पे 8700/-) पर दिनांक 01.04.2016 से पदौन्नत किया जाता है। डॉ. नुपुर चतुर्वेदी पदौन्नति पर यथा स्थान पदस्थापित रहेंगे।

आज्ञा से,

५१.०५  
(पी.सी. जैन)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. सचिव, राज. लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर/प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.सी.एल., जयपुर।
6. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
7. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/प्रधानाचार्य, आर.एफ.पी.टी.सी।
8. संबंधित अधिकारी
9. कम्प्यूटर सैल/रक्षित पत्रावली
- ✓ 10. प्रभारी सर्वर रूप, निदेशालय, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश आज ही विभाग की बेवसाईड पर उपलोड करावेवें।

(एम.एल. वर्मा)

सहायक शासन सचिव